

भारत गणराज्य की सरकार तथा निकारागुआ गणराज्य  
की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

- - -

भारत-गणराज्य की सरकार तथा निकारागुआ की सरकार

॥ इसके बाद इन्हें "संविदाकारी पक्षकार" कहा जायगा ॥, घनिष्ठतर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित तथा विकसित करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, जन-स्वास्थ्य और सूचना तथा शिक्षा के जन-संचार के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलापों सहित, कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में भारत और निकारागुआ के बीच हर संभव तरीके से सम्बन्धों और सूझबूझ को प्रोन्नत तथा विकसित करने की इच्छा से निम्नलिखित करार को अन्तिम रूप देने के लिए सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद- 1

संविदाकारी पक्षकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जन-स्वास्थ्य, सूचना और शिक्षा के जन-संचार, खेलकूद तथा पत्रकारिता के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलापों सहित, कला और संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनायेंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृति तथा कार्यकलापों की बेहतर जानकारी को दिशा में योगदान प्रदान कर सकें ।

अनुच्छेद- 2

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनायेंगे :-

- क॥ व्याख्यान देने, अध्ययन दौरों तथा विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोफेसरों तथा विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे ;
- ख॥ शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी कलात्मक, खेलों तथा पत्रकारों, संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरे तथा कांग्रेसों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेना ;

- ग४ संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल- रूपान्तरण के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान तथा पुस्तकों, पत्र- पत्रिकाओं और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, खेल-प्रकाशनों का आदान-प्रदान एवं जहां संभव हो, कला और नमूनों का आदान-प्रदान ; और
- घ४ खुदाई का अनुभव प्राप्त करने तथा पुरातत्वोपलब्धियों के परिरक्षण और प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रयोजनों और नमूनों अथवा टांघों के आदान- प्रदान के सम्बन्ध में एक देश के पुरातत्वज्ञों द्वारा दूसरे देश का दौरा करने के सम्बन्ध में पारस्परिक सुविधाएं ।

अनुच्छेद- 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को अपनी उच्च शिक्षा संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करने के लिए सुविधायें और छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद- 4

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार उन स्थितियों को जांच करेगा जिनके अन्तर्गत दूसरे देश में प्रदान किए गए डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और विश्व-विद्यालय डिग्रीयों को इसकी अपनी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में अध्ययन के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है ।

अनुच्छेद- 5

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस के माध्यम से दूसरे पक्षकार की संस्कृति और जीवन के विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री और कार्यक्रमों का आदान- प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद- 6

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को सुकर बनायेंगे और प्रोत्साहित करेंगे :

- क॥ कलाकारों और नृत्य और संगीत मंडलियों का आदान-प्रदान ;
- ख॥ कला और अन्य प्रदर्शनियों का आदान - प्रदान ;
- ग॥ फिल्मों, पृत्तिचित्रों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के रिकार्डों तथा डिस्क और टेपों से संबंधित रिकार्डों का आदान-प्रदान; और
- घ॥ चलचित्र के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में भाग लेना

अनुच्छेद- 7

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल टीमों के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे और प्रचलित राष्ट्रीय नियमों और विनियमों के अनुसार उनके अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में उनके आने-जाने को सुकर बनायेंगे

अनुच्छेद- 8

संविदाकारी पक्षकार यह यथासम्भव सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों, विशेषकर इतिहास और भूगोल की पुस्तकों में एक दूसरे के देश से संबंधित कोई गलती अथवा तथ्यों का मिथ्या वर्णन न हो ।

अनुच्छेद- 9

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्षकार अथवा संविदाकारी पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से अपने नियमों, विनियमों और इस सम्बन्ध में सामान्य नीति के अनुसार शैक्षिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्री संघों

की स्थापना का स्वागत करेगा। ऐसा समझा जाता है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी संस्था के स्थापित होने से पहले सम्बन्धित सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।

अनुच्छेद- 10

वर्तमान करार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संविदाकारी पक्षकारों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर एक संयुक्त समिति गठित की जा सकती है, जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधि बराबर-बराबर संख्या में होंगे। दोनों पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर संविदाकारी पक्षकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार इस समिति की बैठकें बारी-बारी से नई दिल्ली और मानागुआ में आयोजित की जायेंगी। यह संयुक्त समिति वर्तमान करार के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करने, वर्तमान करार में परिकल्पित क्षेत्रों में किसी भी पक्षकार के हित से सम्बन्धित कोई मद तैयार करने तथा इसकी सिफारिश करने में सम्बन्धित सरकार को सलाह देने के साथ-साथ उस विधि के बारे में भी सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगी जिससे करार के कार्यकरण में सुधार किया जा सके।


अनुच्छेद- 11

वर्तमान करार का अनुसमर्थन किया जायगा और यह अनुसमर्थन के दस्तावेजों के विनिमय की तारीख से लागू होगा। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और तत्पश्चात् यह 5 वर्ष की और अवधि के लिए स्वतः ही नवीकृत हो जायगा जब तक कि कोई भी संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार को वर्तमान करार को समाप्त करने के अपने आशय की सूचना लिखित रूप में छः माह पूर्व नहीं दे देता। इस करार में पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकता है।


इसके साक्ष्य में, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्तारों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किए जाने के बाद इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं और अपनी-अपनी मोहरें लगाई हैं।

नई दिल्ली में 1908 शक के भाद्र के अठारहवें दिन तदनुसार एक हजार नौ सौ छियासी ईसवी सन् के सितम्बर के नौवें दिन तीन मूल प्रतियों, प्रत्येक हिन्दी, स्पैनिश और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

  
॥ पी० शिव शंकर ॥  
विदेश मंत्री

निकारागुआ गणराज्य की  
सरकार की ओर से

  
॥ मिर्युल डो'स्कोटो ब्रकामेन ॥  
विदेश मंत्री

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA

The Government of the Republic of India and the Government  
of the Republic of Nicaragua (hereinafter referred to<sup>as</sup> the Contracting Parties)

INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations,  
and

DESIROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations  
and understanding between India and Nicaragua in the realms of art, culture,  
education, including academic activity in the fields of science and technology,  
sports, public health and mass media of information and education,

HAVE AGREED to conclude the following agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation  
in the fields of art and culture, education, including academic activity in  
the fields of science and technology, public health, mass media of information  
and education, sports and games and journalism in order to contribute towards  
a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- (a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures,  
study tours and conducting special courses;
- (b) reciprocal visits of representatives of educational, literary,  
scientific, technical artistic, sports and journalists, associations  
and organisations and participation in congresses, conference,  
symposia and seminars;
- (c) exchange of material in the fields of culture, science, education,  
sports translation and exchange of books, periodicals and other  
educational, scientific, technical, cultural, sports publications and  
wherever possible, exchange of art and specimen; and

(d) reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists of the one country to the other to enable them to gain experience of excavation as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of specimens or casts.

#### ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of high education and research laboratories.

#### ARTICLE 4

Each Contracting Party undertakes to examine the conditions under which the diplomas, certificates and university degrees awarded in the other country can be recognised for purposes of study in its own educational and other institutions.

#### ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facts of the life and culture of the other party through the media of radio, television and press. With this end in view, the two parties shall exchange suitable materials and programmes.

#### ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

- (a) exchange of artists, and dance and music ensembles;
- (b) exchange of art and other exhibitions;
- (c) exchange of films, documentaries, radio and television programmes recordings and recordings on discs and tapes; and
- (d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

#### ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the national laws and regulations in force, their study and movement in their respective territories.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article

ARTICLE 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement a Joint Committee may be established by the Contracting Parties, when considered necessary consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of the parties alternately in New Delhi and Managua. The Joint Committee will be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Government concerned in formulating and recommending any items of interest to either Party in the fields envisaged in the present Agreement, as also advising the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE 11

The present agreement is subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for subsequent period of five years unless either Party gives a written notice to the other six months in advance of its intention to terminate the present Agreement. This Agreement may be modified by mutual consent.



IN WITNESS THEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments have hereto signed the Agreement and affixed thereto their seals.

DONE at New Delhi on this 18th day of Bhadra, 1908 (SAKA) corresponding to the ninth day of September of the year One thousand nine hundred and eighty six A.D. in three originals, each in Hindi, Spanish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA



( P. SHIV SHANKER )  
MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF NICARAGUA



(MIGUEL D'ESCOTO BROCKMANN)  
MINISTER OF THE EXTERIOR